भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *191

दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

ऊंटों की संख्या में कमी होना

***191. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:**
श्री पी.पी.चौधरी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले कुछ वर्षों में ऊंटों की कुल संख्या में होने वाली कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऊंटों की संख्या में होने वाली कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय उक्त कमी के कारणों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्याहै; और

(घ) ऊंट पालकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

श्री)परशोत्तम रूपाला (

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20/12/2022 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 191 "ऊँटों की संख्या में कमी होना" के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबन्धित विवरण

(क)और (ख) पशुधन संगणना रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऊँटों की संख्या में पिछली दो संगणनाओं की तुलना में समग्र रूप से गिरावट देखी गई है। 19वीं पशुधन संगणना (2012) की तुलना में 20वीं पशुधन संगणना (2019) में कुल ऊंटों की संख्या 400 हजार से घटकर 252 हजार रह गई है।

पिछली दो पशुधन संगणनाओं के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर ऊँटों की संख्या और पिछली पशुधन संगणना से अंतर निम्नानुसार है:

संगणनावर्ष	ऊँटों की आबादी(लाख की संख्या में)	प्रतिशत परिवर्तन
19वीं पशुधन संगणना (2012)	4.00	-22.63
20वीं पशुधन संगणना (2019)	2.52	-37.05

(ग)भारत की लगभग 84% ऊंट आबादी राजस्थान में रहती है। पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार ऊंटों की आबादी में हुई क्रमिक कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

i. कृषि क्षेत्र के लगातार बढ़ते मशीनीकरण ने कृषि क्षेत्र में ऊंट की उपयोगिता को कम कर दिया है।
ii. अधिकांश आंतरिक क्षेत्र पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए ऊंटों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है। लोग ऊंट का उपयोग करने के बजाय परिवहन के लिए वाहन पसंद करते हैं।
iii. राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर जिलों में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना की स्थापना के कारण चारागाह भूमि में कमी आई है। ये चारागाह ऊँटों के लिए चारे का मुख्य स्रोत थे।
iv. वन क्षेत्रों में प्रतिबंधों के कारण ऊँट पालकों के लिए ऊँटों को चारा उपलब्ध कराना कठिन हो गया है।
v. राजस्थान सरकार ने ऊंट को अपने राज्य पशु के रूप में घोषित किया है और 'राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015' लागू किया है। राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 के तहत ऊंट कोराज्य से बाहर निकालने या उसके अस्थायी प्रव्रजन और उसके वध पर प्रतिबंध है। इस विधेयक के लागू होने के कारण ऊंटों के अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक है।
vi. ऊंट पालने वालों की युवा पीढ़ी अपनी उच्च शैक्षिक स्थिति और ऊंट पालन में संभावनाओं की कमी के कारण खुद को ऊंट पालन से दूर कर रही है।

(घ)जैसा कि पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राजस्थान सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:

i. राज्य में ऊंट के दूध का संगठित बाजार है या ऊंट डायरी स्थापित है।
ii. ऊंटों की आबादी में लगातार कमी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने ऊंट के बछड़े व बछड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की ऊंट संरक्षण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऊँट पालकों को दो किस्तों में कुल 10,000/- रुपये (पैदा हुए प्रत्येक बछड़े व बछड़ियों के लिए0-2 महीने और 1 वर्ष की आयु होने पर) दिए जाएंगे।
iii. ऊंटों के वध पर रोक लगाने और राजस्थान से उनके अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात को विनियमित करने के लिए, राज्य ने "राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015" को अधिनियमित और क्रियान्वित किया है।
iv. राजस्थान सरकार, अपने अस्पतालों, उप-केंद्रों और मोबाइल इकाइयों के माध्यम से मुफ्त दवा वितरण के साथ मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान कर रही है।
v. ऊंटों की घटती आबादी को बचाने के लिए, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में ऊंट को आधिकारिक राज्य-पशु घोषित किया है।
vi. राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर और लोकहित पशुपालक संस्थान; साड्डी, पाली प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पाद जैसे आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क आदि तैयार कर ऊंटनी के दूध को जनता के बीच प्रसिद्धिदिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
vii. जूट के साथ ऊंट के बालों के उपयोग पर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईटी), कोलकाता के साथ काम कर रहा है।
viii. रेशों से भरपूर ऊंट के गोबर से हस्तनिर्मित कागज और ईंटें तैयार करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
ix. पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने मार्च 2021 के दौरान 340 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जहां 21600 ऊंटों का सुर्रा रोग के लिए इलाज किया गया। ऊंट पालन का प्रशिक्षण भी दिया गया।

देश में कुल ऊंटों की आबादी का 11% योगदान देने वाले गुजरात ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. गुजरात राज्य की सरकार ऊंटों की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से ऊंटों की आबादी के संरक्षण और प्रसार के लिए उत्सुक है।
ii. कच्छ के धोरी में ऊंट पालन केंद्र वैज्ञानिक तरीके से और शुद्ध प्रजनन के माध्यम से ऊंटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से उनका पालन कर रहा है।

iii. फार्म की आवश्यकता के अलावा अतिरिक्त नर ऊंटों की ऊंट प्रजनकों, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस विभाग को मामूली कीमत पर आपूर्ति की जाती है।
iv. गुजरात राज्य की सरकार ने कच्छ क्षेत्र में ऊंट के दूध की खरीद और प्रसंस्करण की व्यवस्थाहेतु सहायता प्रदान की है।

ऊंट प्रजनकों के हितों की रक्षा हेतुभारत सरकार ने राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

डीएएचडी की राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजना के 'नवाचार और विस्तार' के उप-मिशन के तहत राज्य सरकार तथा अन्य संस्थान ऊंट संरक्षण हेतु सहायता ले सकते हैं।इस उप-मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सुअर और आहार और चारा क्षेत्र, विस्तार कार्यकलापों, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है।इस उप-मिशन के तहत, केंद्रीय एजेंसियों, आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालय के फार्मों को इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, पशुपालन और योजनाओं हेतु प्रचारकार्यकलापों सहित विस्तार सेवाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रदर्शन कार्यकलापों और जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य आईईसी क्रियाकलापोंहेतु सहायता प्रदान की जाती है। ।

इस उप-मिशन के तहत 'पशुधन बीमा' नामक एक घटक शामिल किया गया है, जिसका लाभ ऊंट प्रजनक उठा सकते हैं। इस घटक का उद्देश्य ऊंट प्रजनकों को पशु की मृत्यु के कारण होने वाले किसी भी संभावित नुकसान के लिए सुरक्षा तंत्र प्रदान करके जोखिम और अनिश्चितताओं का प्रबंधन करना है। इसे राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्रियान्वित किया गया है। बीमा प्रीमियम के लिए सब्सिडी का लाभ प्रति परिवार प्रति लाभार्थी 5 पशुओं तक सीमित है।

भारत सरकार ने ऊंटों संबंधी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) की स्थापना की है। इसने एक और दो कूबड़ वाले ऊँटों पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य किया है और इस कार्य से ऊँट प्रजनकों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

आईसीएआर-एनबीएजीआर ने अब तक देश में देशी ऊंट की नौ नस्लों को पंजीकृत किया है। देशी ऊंट की सभी नौ पंजीकृत नस्लों को वर्ष 2019 में डेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। आईसीएआर-एनबीएजीआर ने एएनजीआर संबंधी नेटवर्क कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017-2020 के दौरान गुजरात के खराई ऊंट का स्व-स्थाने संरक्षण किया है। इसके अलावा, कच्छी, खराई, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, जालोरी, मेवाती और मारवाड़ी ऊंट के सोमेटिक सैल जर्मप्लाज्म तथा जैसलमेरी ऊंट के वीर्य जर्मप्लाज्म को एनबीएजीआर के राष्ट्रीय जीन बैंक में क्रायोसंरक्षित किया गया है।

*****